

कार्यालय निदेशक तालंडरी शिक्षा, हरियाणा, चण्डीगढ़
आदेश क्रांक 23/93-95 वि. T 128
दिनांक चण्डीगढ़ 30.8.95

सनातन धर्म विद्या मन्दिर पानीपत को केन्द्रीय
शास्त्रधर्मीक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली, भे वाई स्तर की संबधता लेने वेतु
अनायासित प्रमाण पत्र इस गत एवं जारी किया जाता है कि विद्यालय
समय-2 जारी की जाने वाली इस विभाग की विद्यालयों की पालना
करता रहेगा।

लिखानीए विद्यालयों की पालना न टरने पर उह
अनायासित प्रमाण पत्र वापिस लिया जा सकता है।

१ नवराज सन्धि
निदेशक तालंडरी शिक्षा, हरियाणा,
चण्डीगढ़

ए) इनांक -सम-

दिनांक चण्डीगढ़ 30.8.95

इसकी एक पत्रि निम्नलिखित को अनायास
अनायास इस्थिति लेने भेजी जाती है:-

जिल्हांग पानीपत को जुने गांव क्रांक जी-45/4094
दिनांक 25.8.95 के पत्री में।

प्राचार्य, सनातन धर्म विद्या मन्दिर, पानीपत

1.
✓2.
3.

तथा, केन्द्रीय वादिका बोर्ड, किंवा केन्द्र-2,
कम्पिनी, दुरीत दिवार, नई दिल्ली-11 92।

न्यूजिलैंड 30.8.95
उष्णनिदेशक विद्यालय,
नृत्य: निदेशक तालंडरी शिक्षा, हरियाणा,
चण्डीगढ़।

Principal
Govt. Girls St. Sec. School
PANIPAT

काशीलिय निदेशक, सैकण्डरी जिला हरियाणा, चण्डीगढ़:

आदेश क्रमांक: १८७२६-९७/प्रभु, दिनांक, चण्डीगढ़: २२-८-१८

रायना/८७ अर्जुन विद्यालय एवं पानीपत को
केन्द्रीय माध्यमिक जिला बोर्ड, नई दिल्ली से +२ स्तर की सम्बन्धिता लेने हेतु-
अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त पर जारी किया जाता है कि विधालय समय समय पर
जारी की जाने वाली इस विभाग की हिदायतों की पालना करता रहेगा।

विभागीय हिदायतों की पालना न करने पर यह अनापत्ति प्रमाण
पत्र वापिस लिया जा सकता है।

एन०सी०वर्धा,
निदेशक सैकण्डरी जिला हरियाणा,
चण्डीगढ़

पूर्वोक्त सम

दिनांक, चण्डीगढ़: १-९-९७

इसकी एक ग्रुति निम्ननिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु
भेजी जाती है :-

१. जिला जिला अधिकारी पानीपत को उनके यादी क्र०
की १-९८/३१०) दिनांक २२-८-१८ के संदर्भ में।

२. मु०अ०/पूर्णानाथ रायना/८७ अर्जुन विद्यालय एवं पानीपत
सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक जिला बोर्ड जिला केन्द्र कम्पूनिटी सेटर,
पुरीत विहार, नई दिल्ली- ११००९२।

कृते: अर्जुन विद्यालय सैकण्डरी जिला हरियाणा,
चण्डीगढ़।